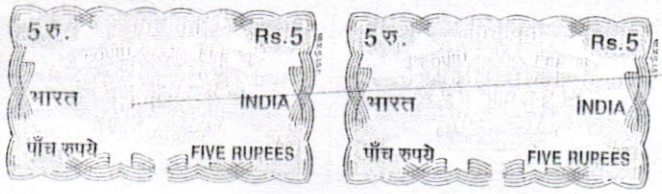

(62)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

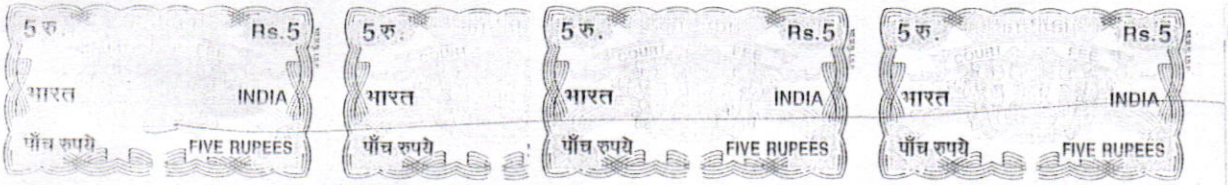

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R 5527-III/16

रामसुमिरन साहू पिता रामसूरत साहू निवासी माडौर तहसील जवा जिलारीवा म0प्र0 ===== निगरानीकर्ता Rs 30/-

बनाम

1- श्रीमती कुमनी पत्नी रामनिरंजन साहू निवासी ग्राम माडौर तहसील जवा जिलारीवा म0प्र0

2- शासन म0प्र0 ==== गैरनिगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री मनोज कुमार साहू द्वारा पेश 14-12-2016

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील जवा राजस्व निरीक्षक मंडल डभौरा के प्रकरण क्र0 22/अ-12/2015-16 आदेश दिनांक- 16-5-16

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0सं0 1959 ई0.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1:- यहकि आधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धांन्त के विपरीत होने से निरस्त किए जानेयोग्य है ।

2- यहकि आराजी नं0 880/3 स्थित ग्राम माडौर तहसील जवा जिलारीवा का भूमिस्वामी निगरानीकर्ता है । एवंम 882/2 व 885/2 म0प्र0 शासन शासन की भूमि है । आराजी नं0 880/3 में निगरानीकर्ता का मकान एवं कूप स्थित है, एवं उसी आराजी से लगी 882/2 एवं 885/2 म0प्र0 शासन की भूमि है, जिसमें आवेदक की बाडी एवं शौचालय अर्सा पूर्व से स्थित है । एवं 882/1, व 885/1 पूर्व में म0प्र0 शासन की भूमि थी जिसे भागवानदास साहू शुक्ला ने व्यवस्थापन कराकर अनावेदक क्र0-01 को बिक्री कर दिया था तब से उक्त आराजी पर कुमनी का कब्जा दखल है । रजिस्टी में जो चौहद्दी लिखाई गयी थी उसके विपरीत गैरनिगरानीकर्ता क्र0-1 ने जहां पर निगरानीकर्ता का बाडी एवं शौचालय स्थित है

क्रमशः 2..पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0– R.5527–II / 16 जिला–रीवा

रामसुमिरन साहू / श्रीमती सुगनी

(1)	(2)	(3)
18.07.17	1. आवेदक अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा, तहसील जवा, जिला रीवा के प्रकरण क्र0 22 / अ12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.05.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–रा0 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम 1963 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2. आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है, कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 14.12.16 को प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता द्वारा लगभग 7 माह के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अधिवक्ता का धारा 05 के आवेदन में दर्शाय तथ्य समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रकरण धारा 05 पर भी समाप्त किया जाता है। सदस्य	